প্রেস বিবৃতি

নরেগার ১০০ দিনের কাজ করে আজ এই রাজ্যের শ্রমিকেরা ৯ মাসের বেশী সময় ধরে নিজেদের মজুরির অপেক্ষায় দিন গুজরান করে চলেছে। শ্রমিকদের প্রতি রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের চুড়ান্ত অসহযোগিতার ফলে আজ এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ১০০ দিনের কাজে রাজ্য সরকারের অপরিমিত দুর্নিতির ফলে কেন্দ্র সরকার শ্রমিকদের মজুরি আটকে রেখেছেন এবং ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ শ্রমিকরা। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতি প্রায় তিন দশকের বেশী সময় ধরে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত। এই পরিস্থিতিতে সমিতি মনে করে শ্রমিকদের উপর এই বঞ্চনা অমানবিক এবং অসাংবিধানিক। সমিতি আরো মনে করে যে এই রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের এন আর ই জি এ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসারেরা শ্রমিকদের মজুরি দিতে পারবেনা জেনেও ছল চাতুরির আশ্রয় নিয়ে নিরীহ শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতির নেতৃত্বে আজ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন ব্লকের এন আর ই জি এ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির **৪১৭** (প্রতারণা**) এবং ৪১৮ (**ক্ষতি হবে জানা সত্ত্বেও প্রতারণা করা**)** ধারাতে বিভিন্ন থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নীচে সংযুক্ত করা হল। আজই সমিতির পক্ষ থেকে মধ্যমগ্রাম থানায় কেন্দ্র সরকারের গ্রামীন উন্নয়ন বিভাগের সচিব মাননীয় নগেন্দ্র নাথ সিনহার বিরুদ্ধেও উক্ত ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

আজ বিভিন্ন থানার আধিকারিকেরা যেমন শ্রমিকদের অভিযোগ গ্রহন করেন তেমন বিভিন্ন থানার আধিকারিকেরা এই অভিযোগ গ্রহন করতে অস্বীকার করেন। সমিতির পক্ষ থেকে শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী পুরুলিয়া, নদীয়া ,পশ্চিম মেদিনীপুর ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন থানায় ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই পরিস্থিতির শিকার হয়ে শ্রমিকেরা আগামীকাল বিভিন্ন জেলায় সুপরিকল্পিত ভাবে পথ অবরোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমিতি মনে করে সরকারের এই আইন অমান্যের প্রতিবাদের শ্রমিকদের এই আইন মান্য আন্দোলন চলতে থাকবে এবং দাবী না মেটা পর্যন্ত শ্রমিকদের এই আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর আকার গ্রহন করবে।

Press Release

After working for 100 days of NREGA, today the workers of this state are spending their days waiting for their wages for more than 9 months. This situation has arisen today as a result of utter non-cooperation of the state and central governments towards the workers. Due to the immense corruption of the state government in 100 days work, the central government has withheld the wages of the workers and the common workers are suffering.

The Paschim Banga Khet Majoor Samity has been associated with the labor movement for more than three decades. In these circumstances the association feels that this deprivation on the workers is inhumane and unconstitutional. The Samity also feels that the program officers of NREGA projects in various blocks of the state have resorted to trickery to make innocent workers work, knowing that they cannot pay wages to them .

In this situation, under the leadership of the Paschim Banga Khet Majoor Samity today on September 22, 2022, complaints were filed in various police stations under sections 417 (cheating) and 418 (cheating despite knowing the loss) of the Indian Penal Code against the program officers of the NREGA project in different blocks of different districts in West Bengal. Detailed information regarding this is attached below.

On behalf of the Samity, a complaint has been filed against Mr. Nagendra Nath Sinha, Secretary, Rural Development Department, Central Government, at Madhyamgram Police Station.

Today, as the officials of various police stations accepted the complaints of workers, there were officials of various police stations also that refused to accept these complaints. According to the latest information received from the Paschim Banga Khet Majoor Samity,

complaints have already been filed in various police stations of Purulia, Nadia, West Medinipur and North 24 Parganas districts.

Victims of this situation, the workers have decided to block roads in a well-planned manner in various districts tomorrow. The Paschim Banga Khet Majoor Samity believes that this law-abiding movement of the workers to protest the violation of the law by the government will continue and this movement of the workers will become more and more intense until the demands are met.

प्रेस रिलीज़

नरेगा के 100 दिन काम करने के बाद आज इस राज्य के मजदूर 9 महीने से अधिक समय से अपनी मजदूरी के इंतजार में दिन बिता रहे हैं. यह स्थिति आज राज्य और केंद्र सरकार के मजदूरों के प्रति असहयोग के कारण पैदा हुई है। 100 दिनों के काम में राज्य सरकार के भारी भ्रष्टाचार के कारण केंद्र सरकार ने श्रमिकों का वेतन रोक दिया है और आम कामगारों को परेशानी हो रही है.

पश्चिम बंग खेत मजूरसमिति तीन दशकों से अधिक समय से श्रमिक आंदोलन से जुड़ी हुई है। इन परिस्थितियों में एसोसिएशन को लगता है कि श्रमिकों पर यह वंचना अमानवीय और असंवैधानिक है। समिति को यह भी लगता है कि राज्य के विभिन्न ब्लॉकों में नरेगा परियोजनाओं के कार्यक्रम अधिकारियों ने श्रमिकों को काम करने के लिए छल किया है, यह जानते हुए कि वे उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं कर सकते हैं।

ऐसे में आज 22 सितंबर 2022 को पश्चिम बंग खेत मजूर समिति के नेतृत्व में विभिन्न थानों में भारतीय दंड संहिता की धारा 417 (धोखाधड़ी) और 418 (नुकसान जानकर भी ठगी) के तहत शिकायत दर्ज कराई गई. पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के विभिन्न ब्लॉकों में नरेगा परियोजना के कार्यक्रम अधिकारियो के खिलाफ। इस संबंध में विस्तृत जानकारी नीचे संलग्न है।

समिति की ओर से श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, केंद्र सरकार के खिलाफ मध्यमग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

आज जब विभिन्न थानों के अधिकारियों ने श्रमिकों की शिकायतों को स्वीकार किया, तो विभिन्न थानों के अधिकारियों ने इन शिकायतों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंग खेत मजूर समिति से मिली ताजा जानकारी के अनुसार पुरुलिया, नदिया, पश्चिम मेदिनीपुर और उत्तर 24 परगना जिले के विभिन्न थानों में शिकायत दर्ज करायी जा चुकी है.

इस स्थिति के शिकार श्रमिकों ने कल विभिन्न जिलों में सुनियोजित तरीके से सड़क जाम करने का निर्णय लिया है. पश्चिम बंग खेत मजूर समिति का मानना है कि सरकार द्वारा कानून के उल्लंघन के विरोध में मजदूरों का यह कानून का पालन करने वाला आंदोलन जारी रहेगा और मांगें पूरी होने तक मजदूरों का यह आंदोलन और तेज होता जाएगा.